न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–6, अयोध्या।

पीठासीनः दीपिका तिवारी, ...उच्चतर न्यायिक सेवा, जे०ओ० कोड–यू.पी. 2719

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–16/2023
CNR No. UPFZ010005452023
Computer Registration No. 22/2023

1. श्रीमती राम उरेही पत्नी श्री राधेश्याम
2. रामजी यादव पुत्र श्री राधेश्याम निवासीगण ग्राम पूरे कोलाहल, मौजा बसवा खुर्द, थाना इनायत नगर, जनपद अयोध्या।

–––––––निगरानीकर्तागण।

बनाम

1. सरकार उत्तर प्रदेश।
2. सियाराम पुत्र गयादीन
3. भगवानराज पुत्र गयादीन
4. श्रीमती जगदत्ता पत्नी गयादीन
5. गंगाराम पुत्र चिथरु

2 ता 5 निवासीगण ग्राम पूरे कोलाहल, मौजा बसवारखुर्द, थाना इनायत नगर, जनपद अयोध्या।

6. कुलदीप उर्फ गुड्डू यादव पुत्र रामजगरुप यादव
7. सुरेश कुमार पुत्र रामजगरुप यादव
8. धरमचन्द्र यादव पुत्र रामजगरुप यादव
9. जयकिशन यादव पुत्र रामजगरुप यादव

6 ता 9 निवासीगण ग्राम हरीरामपुर, थाना इनायत नगर, जनपद अयोध्या।

10. राजितराम पुत्र झुल्लुर निवासी ग्राम मीरपुर कांटा, थाना रौनाही, जनपद अयोध्या।
11. चन्द्रिका प्रसाद पुत्र राम सरन

11 व 12 निवासीगण ग्राम पूरे बद्री तिवारी, मौजा बसवारखुर्द, थाना इनायत नगर, जनपद अयोध्या।

–––––––विपक्षीगण।

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण, निगरानीकर्तागण राम उरेही व रामजी यादव द्वारा विद्वान न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट मिल्कीपुर जनपद अयोध्या प्रथम श्रेणी बमुकदमा श्रीमती राम उरेही बनाम सियाराम आदि वाद संख्या–टी202004230403605 अंतर्गत धारा 145 दं.प्र.सं.

Digitally signed by Deepika Tiwari
Date: 2026.07.06 17:00:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मौजा बसवारखुर्द पूरे कोलाहल थाना इनायत नगर, जनपद अयोध्या में पारित आदेश दिनाँकित 18.01.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसमें पक्षकार जगदत्ता को आवश्यक पक्षकार से हटाने का आदेश पारित किया गया जिसके संबंध में रिकॉल प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसे दिनाँक 18.01.2023 एवं 26.12.2022 को खारिज कर दिया गया।

2. प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण में निगरानीकर्तागण राम उरेही व रामजी यादव द्वारा यह आधार लिया गया है कि अवर न्यायालय में श्रीमती जगदत्ता बतौर विपक्षी सं० 3 पक्षकार थी जिनकी संपत्ति कुर्क की गयी थी परंतु अवर न्यायालय ने विपक्षी जगदत्ता को विशेष तौर से नाजायज ढंग से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से दिनांक 26/12/2022 को पक्षकार से हटाने का आदेश इस आधार पर पारित कर दिया था कि जगदत्ता का नाम पुलिस चालानी रिपोर्ट में नही है जबकि पुलिस चालानी रिपोर्ट में क्रमाकं नं0 3 पर जगदत्ता का नाम था। निगरानीकर्तागण ने दिनांक 18.01.2023 को आदेश दिनांक 26.12.2022 को रिकॉल करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया था जिसे श्रीमती जगदत्ता को लाभ पहुंचाने के लिए प्रार्थनापत्र सरसरी तौर पर उसी दिन ही खारिज कर दिया गया। यदि श्रीमती जगदत्ता का नाम पक्षकारान में से निकाल दिया जाता है तो पुनः शांतिभंग की प्रबल संभावना हो जाएगी जिससे कभी भी शांति भंग हो जाएगी। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व तथ्यों तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के बिल्कुल विपरीत पारित आदेश होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अपनी चालानी रिपोर्ट तैयार करते समय ही संबंधित थानाध्यक्ष द्वारा श्रीमती जगदत्ता को अपनी चालानी रिपोर्ट में पक्षकार संख्या–3 बनाया है परन्तु विद्वान अवर न्यायालय ने थाने की चालानी रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन न करके मनमाने तौर पर आदेश पारित करके भयानक भूल किया है इस कारण भी विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित निरस्त किए जाने योग्य है। श्रीमती जगदत्ता उपरोक्त प्रकरण से संबंधित वाद के अवर न्यायालय में कायम होने के समय से ही आवश्यक विपक्षी पक्षकार संख्या–3 रही हैं और उनके तथा उनके परिजनों के द्वारा ही अवैध रूप से पुनरीक्षणकर्तागण की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया गया है जिसका विस्तृत विवरण विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा प्रस्तुत किया गया परन्तु उस पर कोई ध्यान न देकर सरसरी तौर पर आदेश पारित करके विद्वान अवर न्यायालय द्वारा कानूनन भूल किया गया है इस कारण भी विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। थानाध्यक्ष की जो आख्या/चालानी रिपोर्ट विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई है उसमें श्रीमती जगदत्ता के साथ ही साथ उसके पुत्रों को भी पक्षकार बनाया गया है परन्तु इस पर भी कोई ध्यान न देकर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर आदेश पारित करके महान भूल किया है इस कारण भी विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त होने योग्य है। विद्वान अवर न्यायालय के आदेश के कायम रहने से पुनरीक्षणकर्तागण की अपूर्णनीय क्षति अवश्य हो जाएगी इस पर भी कोई ध्यान न देकर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आलोच्यादेश पारित करके भूल किया गया है इस कारण भी विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। मुकामी पुलिस द्वारा पुनरीक्षणकर्तागण की संपत्ति को गलत तौर पर कुर्क करते हुए अपनी आख्या/चालानी रिपोर्ट अवर न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार भी श्रीमती जगदत्ता उपरोक्त मामले में एक आवश्यक पक्षकार है परन्तु उसे आवश्यक पक्षकार न बनाए जाने के संबंध

में आदेश पारित करके विद्वान अवर न्यायालय ने प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत आदेश पारित किया है इस कारण भी विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। प्रश्नगत आदेश पारित करने में विद्वान अवर न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक का सम्यक प्रयोग न करके महान भूल किया है। उपरोक्त प्रकरण में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम, तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्यों तथा प्रतिपादित सिद्धांतों के बिल्कुल ही विपरीत पारित होने के कारण प्रत्येक दशा में निरस्त किए जाने योग्य है। अतएव श्रीमानजी से निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण में विद्वान प्रथम उप जिला मजिस्ट्रेट मिल्कीपुर महोदय फैजाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक एवं 18.01.2023 26/12/2027 को निरस्त करते हुए पुनरीक्षण हाजा को स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

3. मैंने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

4. निगरानीकर्तागण द्वारा उक्त दाण्डिक निगरानी दाखिल करने के पश्चात निगरानीकर्तागण विगत कई तिथियों से लगातार गैरहाजिर चल रहे हैं। निगरानीकर्तागण के पैरवी के अभाव में प्रतिपक्षीगण 2 लगायत 12 भी उपस्थित नही हुए। चूँकि निगरानीकर्तागण की अनुपस्थिति में दाण्डिक निगरानी निरस्त नही की जा सकती। प्राचीन पत्रावलियों को शीघ्र/प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समय-समय पर जारी दिशानिर्देश के दृष्टिगत पत्रावली निर्णय हेतु नियत की गयी। उपरोक्त पक्ष को बहस हेतु पुनः अवसर दिया गया जिसके बावजूद उपरोक्त पक्ष द्वारा कोई बहस नही की गयी न ही समय याचना का कोई प्रार्थना पत्र उपरोक्त पक्ष द्वारा दिया गया। विपक्षी संख्या 1 राज्य की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अपनी मौखिक बहस की गयी कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि व अनियमितता नही है। अतः उक्त आदेश पुष्ट किया जाये। निगरानीकर्तागण की निगरानी निरस्त की जाये।

5. विपक्षी स०-1 राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फैजाबाद द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनाँकित 18.01.2023 व 26.12.2022 का अवलोकन किया। विधि व्यवस्था **सन्तोष बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश (2010)3 SCC (Criminal) पेज 307** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि **"निगरानी का निस्तारण गुण-दोष पर ही किया जाना चाहिए।"**

रंजना बनाम शिवाजी 2004 सी०आर०एल०जे० 145 (बाम्बे) के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा यह निर्णय पारित किया गया है कि- Hearing of the revision in the absence of the petitioner or his advocate is not illegal.

6. दाण्डिक निगरानी के मामले में निगरानी न्यायालय को यह देखना होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई तात्विक अनियमितता, अवैधानिकता अथवा क्षेत्राधिकार से परे आदेश पारित तो नहीं किया गया है, क्योंकि निगरानी न्यायालय मामले की तथ्य परक जाँच नहीं कर सकती, न ही अपने निष्कर्ष को तथ्यों पर अवलम्बित कर सकती है जब तक कि यह साबित नहीं हो कि प्रश्नगत आदेश (परवर्स) है।

7. पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि निगरानीकर्ता द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण इस आधार पर दाखिल किया गया है कि विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित 26.12.2022 में जगदत्ता को पक्षकार नही बनाने का आदेश पारित किया एवं पुनः उसके द्वारा दिनांक 18.01.2023 को दिये गये रिकॉल प्रार्थना पत्र पर उसे सुने बिना रिकॉल निरस्त कर दिया गया। यहां यह सन्दर्भित है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18.01.2023 में स्पष्ट रुप से यह अंकित है कि "रिकॉल प्रार्थना पत्र 26.12.22 के फर्देकरक के संबंध में किया गया है। जिस पर बहस हुयी। बहस पश्चात उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।" उक्त से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनने के उपरान्त अपना आदेश दिनांकित 18.01.2023 पारित किया गया है। यहां यह भी अवलोकनीय है कि प्रस्तुत निगरानी में पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई स्थगन आदेश जारी न किये जाने के कारण पत्रावली पर विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 16.02.2023 में पारित किया जा चुका है जिसमें निगरानीकर्ता/वादी राम उरेही की तरफ से दाखिल समस्त प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए विवादित आराजी भूमि संख्या 663 क/0.135 हे., 687/0.792 हे., 686/0.026 हे., 773/0.931 हे., 797/0.583 हे., 798 क/0.006 हे., 798 ख/0.007 हे., 799 क/0.011 हे., 799 ख/0.054 हे., 800 ख/0.254 हे., 759 क/0.782 हे., 759 ख/0.020 हे., के संबंध में पारित आदेश दिनांक 07.09.2020 अंतर्गत धारा 145(1) व 146(1) दं०प्र०सं० की कार्यवाही को समाप्त किया गया है। इस प्रकार समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों में निगरानीकर्ता/वादी द्वारा दाखिल निगरानी विचारण न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के चलते निष्फल हो चुकी है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 26.12.2022 एवं 18.01.2023 में कोई ऐसी तात्विक अनियमितता, अवैधानिकता परिलक्षित नही होती है जिस कारण उक्त आदेश स्थिर रहने योग्य न हो। अतः उक्त आधार पर दाण्डिक निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या–16/2023 निरस्त की जाती है। तद्नुसार दाण्डिक निगरानी की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनाँक–जुलाई 6, 2026

(दीपिका तिवारी)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–6, अयोध्या।
जे०ओ० कोड–यू०पी० 2719

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनाँक–जुलाई 6, 2026

(दीपिका तिवारी)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–6, अयोध्या।
जे०ओ० कोड–यू०पी० 2719